

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान श्रीमती ज्ञानादेवी बनाम पुष्पा देवी वगैरे
 किस्म मुकदमा प्राप्य अभिमान मुकदमा नं० 23 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
17 ⁰⁴ / ₁₈	<p>वकील प्राविण श्री जी पी सैनी ने हाजिर अदालत होकर प्रथम पक्ष अभिमान (प्रेम) प्रार्थना - पक्ष फर्द रजिस्टर किया जाये। आदेशों को पक्षी पक्षी हस्त को पाले। पत्रावली दिनांक 30-04-2018 को पेश हो।</p>	<p>2511-2517 36-4-18</p>
30 ⁴ / ₁₈	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फर्दिन उप./अनुपारित। पीएलसीन अधिकारी करें। अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27/5/18 को पेश हो।</p>	
7 ⁵ / ₁₈	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फर्दिन उप./अनुपारित। पीएलसीन अधिकारी करें। अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/8/18 को पेश हो।</p>	
20 ⁸ / ₁₈	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फर्दिन उप./अनुपारित। पीएलसीन अधिकारी करें। अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10/9/18 को पेश हो।</p>	
25 ⁹ / ₁₈	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फर्दिन उप./अनुपारित। पीएलसीन अधिकारी करें। अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/9/18 को पेश हो।</p>	
10 ⁵ / ₁₈	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फर्दिन उप./अनुपारित। पीएलसीन अधिकारी करें। अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/9/18 को पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
13 $\frac{12}{18}$	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>21.2.19 को पेश हो।</p>	
28 $\frac{3}{19}$	<p>पत्रावली पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई।</p> <p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>13.5.19 को पेश हो।</p>	
13 $\frac{5}{19}$	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फर्किंग उप./अनुसंधित। पीठासीन अधिकारी कोरे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16/7/19 को पेश हो।</p>	
16 $\frac{07}{19}$	<p>पत्रावली पेश हुई। उल्लेख में बार-बार उठावज लगावई गई। वकूलाय उपयुक्त अधिका पत्रकारता में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया। अतः कार्यवाही उल्लेख उदम हाजिरी खर्च अफा पेशी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर से कम ही तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तार हो। निर्णय पूर्ण न्यायालय में सुनाया गया।</p>	